[Shri C. M. Poonacha.]
subsequently on the 6th of June, the Ordinance was promulgated. There are certain requirement of certificates and other things being issued not only to our merchant navy but for the ships carrying foreign flags also. Now, if in respect of that, certain things have been done, for which there is no specific sanction of law, well, such a thing will have to be remedied and it is only to cover such a lacuna, if at all, which might have arisen during that interrugnum, that this provision comes into operation.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is·

"That the amendments made by the Lok Sabha in the Bill be agreed to."

The motion was adopted.

STATEMENT BY MINISTER *RE.* A STATEMENT REPORTED TO HAVE BEEN MADE BY HIM ABOUT POSTPONEMENT OF GENERAL ELECTIONS

THE DEPUTY CHAIRMAN: Next item. The Railway Property (Unlawful Possession) Bill, 1966. The Railway Minister.

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI S. K. PATIL): Madam Deputy Chairman, before I make my motion on the Railway Property (Unlawful Possession) Bill, 1966, there is a little matter which, with your permission, I would like to bring to your notice.

I was told that while I was not here after the Question Hour, because I was in the other House, somebody said that I said somewhere that the elections are likely to be postponed, in one of my speeches. And I took the earliest opportunity because there were several friends who asked me what exactly happened I was speaking in Hindi and possibly, the reporter of this particular paper, I must say, must be a man who does not know Hindi. The report of that speech was read out to me by the PTI in Bombay because they themselves were surprised, they knew my views and knew that I would not talk such a thing, and they reported that because of violence, etc. there is a likelihood arising that the elections may be postponed. I never said any such thing. What I said was, there is so much of violence in the air that I doubt very much whether the elections will be peaceful. That is one thing and saying that the elections will be postponed would be quite another thing. Therefore, that report, that corrected report, appeared everywhere. In only one paper in Bombay I saw the other report appearing, and everybody thinks that that is the thing. I would not have taken the time of the House but for the fact that what was in fact not the case should not go abroad. Therefore, to talk about violence is a different matter and to say that the constitutional election, which is the only guarantee in a parliamentary democracy, should be postponed is a different matter. At any rate, I would not be guilty of it. And if anybody had said that, I would have opposed it. Therefore, there is no substance in it. With these words, I refer to the second thing.

THE RAILWAY PROPERTY (UNLAWFUL POSSESSION) BILL, 1966

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI S. K. PATIL) : Madam, I move :

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to unlawful possession of railway property be taken into consideration."

Madam, this Bill that I am moving today is a non-controversial Bill. It seeks some authority which we lack today, and for that matter we are suffering or we have to pay more because of heavy losses of the property. I shall indicate what it is.

The proposed Bill is being sponsored in replacement of the existing Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955, to provide for proper investigation and prosecution of cases relating to railway property (including goods in transit), as also to provide for deterrent punishment being awarded to offenders connected therewith. Today the word "property" has also to be defined because until now the property was only railway property, property that belonged to the Railways. We are custodians of other properties also. That property is worth crores of rupees for which we have to pay compensation. That has also got to be done. Consequently the provisions of this Act cannot be invoked for cases of thefts of goods, consignments, etc Now it is intended to replace the words "Railway Stores" by the words "Railway Property" so as to include any goods

money, or valuable security, or animal, belonging to, or in the charge or possession of, a railway administration. That is also covered. That is one attempt.

Even though the unlawful possession of railway stores is an offence under the Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955, the Act does not regulate the manner or place of investigation, enquiry, etc., into the offence. The offences under the Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955, are, therefore, enquired into in accordance with the provisions of the Criminal Procedure Code by the police of the land. The Railway Protection Force, our force, have no power to do so. That is another thing that we are trying to cure. In the proposed Bill, the procedure for investigation and enquiry etc., into the offences relating to railway property, is being provided and the Railway Protection Force is being empowered to investigate and prosecute offences created thereunder and we need not go under the normal Criminal Procedure Code for enquiry and investigation by the police of the State.

The need for introducing this Bill has arisen because of the fact that the claims bill which was Rs. 29 million in 1953-54, rose to Rs. 42 million in 1962-63. Apart from this, the amendment of the Indian Railways Act in 1961 has cast greater responsibilities on the Railways in respect of carriage of goods and animals because we become responsible for the payment of it and, therefore, we have got to be covered.

The present position is that offences relating to railway property are being investigated and prosecuted by the Government Railway Police (State Police) in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure. The Government Railway Police are primarily charged with the responsibility of maintaining law and order on the Railways. They are, therefore, required to deal with all crimes, that is, murders, dacoities, robberies, frauds, etc. The crimes relating to railway property form only a part of their multifarious duties. Possibly we are lower on the list of their priority and, therefore, we do not get that attention that we deserve. Consequently we have to spend crores of rupees for the property that we hold in our charge but which is not covered under the definition of "Railway stores" as the law stands today.

Due to Government Railway Police being fully occupied with the problem of law and order and other crimes, including heinous crimes, which must necessarily claim their attention first, they, in fact, do not have enough time at their disposal to pay as much attention as is required to cases relating to offences against railway property. Then, again, the Railways are spread over a large part of the country, and the property etc. entrusted to them is carried from one part to another usually crossing boundaries of several States. Therefore, even if in a particular State somebody takes interest, another State may not take. Because we have got an all-India jurisdiction, we cannot entrust it to the States. This is another reason why this Bill has come. Besides, the investigation of cases in respect of railway property requires specialised knowledge of railway working which the G.R.P. is not expected to possess. Our cases go by default because the State police have not got that particular experience which the R.P.F. has. Therefore, the Railway Protection Force is hereby empowered under the fresh enactment.

I do not want to take the time of the House. These are the only two important points. It is, therefore, proposed to replace the Railway Stores (Unlawful Possession) Act, 1955 which would be repealed under this enactment by a more comprehensive Act so as to bring within its ambit the unlawful possession of goods entrusted to the Railways for transport, and to make the punishment for such offences more deterrent. It is also, at the same time, proposed to invest powers of investigation and prosecution of offences relating to railway property in the Railway Protection Force.

The question was proposed.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The time allotted by the Business Advisory Committee is one hour and thirty minutes for this Bill.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी (राजस्थान) : उपसभापति जी, रेलवे का सामान चोरी न हो और उसके रखने वाले व्यक्ति को हम कितना दंड दें इस बात की व्यवस्था इसमें है और दूसरी है इस सबकी देखभाल के लिए एक नई एजेंसी कायम करें। इन दोनों उद्देश्यों

[श्री सुन्दर सिंह भंडारी]
से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं इस बात को सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो इसके पीछे मूल भावना रही; इन वर्षों में क्लेम बिल जो बढ़ गया उसके कारण इस जुर्माने की सजा की सीमा बढ़ाने की विशेष आवश्यकता हुई है, परन्तु, जैसा कि स्वयं इस बिल के आब्जेक्ट्स और रीज़न्स में लिखा है, यह सारा क्लेम्स बिल केवल अनलाफुल पज़ेशन के कारण नहीं बना, इसके अनेकों दूसरे कारण हैं जो कि स्वयं माने गए हैं :—

"We have to pay claims for losses, destruction, damages or deterioration or undelivered goods tendered for despatch."

मैं समझता हूं कि इन सारी बातों से आवश्यकता इस बात की प्रतीत हो जानी चाहिए कि यह जो क्लेम बढ़ गए हैं इसका बहुत बड़ा कारण रेलवे प्रशासन के आधार पर जो इनएफीशिएन्सी है और जो कई चीजें हैं उनकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं ऐसा समझता हूं जो क्लेम बिल में इतनी बढ़ी चढ़ी रकम दिखाई गई है जिसका बहुत बड़ा हिस्सा इन दूसरे वजूहात से सम्बन्ध रखता है जिसके ऊपर रेलवे के एडमिनिस्ट्रेशन को विशेष ध्यान देना चाहिए।

रेलवे प्रापर्टी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, वह किसी गैरकानूनी अधिकार में न रहे और उस पर कब्जा करके रखने वाले लोगों पर जुर्म लगे, वे सज़ा के भागीदार बनें, यह आवश्यक है। लेकिन सरकार की एक आदत बन गई है अपनी सारी इनएफीशिएन्सी के लिए पहली ही बार में जो जुर्म करता है उसके लिए भी आजकल मिनिमम पनिशमेंट ले डाउन करने की। पहले भी एक-दो बार इन बातों की तरफ विरोध प्रकट किया गया है। अदालतें कायम हैं देखने के लिए कि उस पहली बार जुर्म करने वाले व्यक्ति को कितनी सज़ा दी जाय, जुर्माना किया जाय या न किया जाय। हम बजाय इसके कि कानूनी आधार पर यहां पर कोई न कोई न्यूनतम सज़ा निर्धारित कर अदालत को इस अधिकार से वंचित रखें कि उसका कितना बड़ा जुर्म है, उसको कितनी सज़ा देनी चाहिए, मैं समझता हूं कि हम अदालतों के इस अधिकार को, इस न्याय के नियमन करने के डिस्क्रीशन को उन्हीं के पास रहने दें। और यहां तो इस कानून में अपने हाथों में यह अधिकार ले लेना चाहते हैं और अदालत में यह पाबन्दी लगाना चाहते हैं कि कोई विशेष कारण हों तभी वह मिनिमम से नीचे सजा दें, मैं समझता हूं कि यह अदालत पर एक रिफ्लेक्शन है। हमें इस हद तक कानून बना कर ऐग्जीक्यूटिव को पावर्स नहीं देना चाहिये। जुर्म क्यों साबित हो जाता है, कितनी छोटी छोटी वजूहात से जुर्म बन जाता है उसकी सारी पृष्ठभूमि को देखे बिना, किन कारणों से कानून की निगाह में वह जुर्म वहां साबित हो गया उस बात को देखे बिना हम एक इस प्रकार का कानून बना दें तो इस भावना के साथ सहमत होते हुये भी कि प्रापर्टी की रक्षा हो, प्रापर्टी के अनलाफुल पज़ेशन के ऊपर हम जुर्म साबित करें और इसको रोकने की कोशिश करें, मैं समझता हूं कि यह अधिकार जो हम देना चाहते हैं वह अनुचित अधिकार है और इस कानून में से वह चीज़ निकल जानी चाहिये, विशेषकर उस हालत में जब कि दुबारा जुर्म करने की अवस्था में हमने यहां पर एक डेटरेंट पनिशमेंट रखा है, उसमें मिनिमम की व्यवस्था हमने की है। तो मैं इस बात के लिये आग्रहपूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून में पहले जुर्म के लिये जो मिनिमम पनिशमेंट ले डाउन करने की व्यवस्था चाही गई है वह इसमें से हटा देनी चाहिये, कम करनी चाहिये। इस सारी सुरक्षा की व्यवस्था के लिये एक अलग एजेंसी कायम करने की जो बात है मैं उसका समर्थन करता हूं किन्तु मैं यह चाहूंगा कि यह जो पहले पनिशमेंट का मिनिमम है उसको कम करना चाहिये और सारा का सारा जिम्मा क्लेम्स के बढ़ते हुये एमाउंट का यह सरकार जो केवल अनलाफुल पज़ेशन के ऊपर और चोरों के ऊपर ही डाल देना चाहती है उसको न डाल कर सरकार अपने इंतजाम में एफिशियेंसी लाये ताकि जो

माल ट्रांसिट में डिस्ट्राय हो जाता है और जो ठीक समय पर ठीक व्यक्ति को डिलीवर नहीं होता और जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में क्लेम्स बढ़ते जा रहे हैं उसकी तरफ सरकार तवज्जह दे। केवल चोरी के आधार पर ही इतनी बड़ी जिम्मेदारी हम पर आ गई है इस बात से लोगों के दिमाग में एक भ्रम पैदा करने की कोशिश न करें। यही मुझे इस सम्बन्ध में निवेदन करना है।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Parthasarathy.

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : एक प्वाइंट आफ आर्डर, श्रीमन्। यह ऐक्ट संविधान के विरुद्ध है। जो स्वतः संविधान के विरुद्ध है वह ऐक्ट विचारार्थ इस सदन में क्या प्रस्तुत हो सकता है, यह हमारा प्वाइंट आफ आर्डर है।

संविधान को देखा जाय, आर्टिकिल 19 से लेकर 22 तक पढ़िये। उसमें यह है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी अधिकारी अगर गिरफ्तार करता है तो वह 24 घंटे के अन्दर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेगा। यह संविधान की धारा है। अब यह बिल अगर ऐक्ट बनता है तो इसको देखा जाय कि इसके क्लाज 6, 7, 8 में इतनी पावर देते हैं कि कोई भी "परसन" या कोई भी आफिसर जिसको कि इसके अन्दर अफसर कहा गया है या जिसको इसके अन्दर मेम्बर कहा गया है वह किसी भी आदमी को गिरफ्तार कर के जितने समय तक चाहे उतने समय तक और जहां चाहे वहां रख सकता है। कहीं भी इसके सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है।

श्री अकबर अली खान (आंध्र प्रदेश) : कौन-सा आर्टिकिल है।

श्री राजनारायण : कौन-से नम्बर हैं वह मैंने आपको बता दिया है।

उपसभापति : आपने कहा आर्टिकिल 19, 20, 21 !

श्री राजनारायण : जी, नागरिक स्वातन्त्र्य अधिकार के सम्बन्ध में जो हैं, 19 से ले कर 22 तक देखिये। 22 में यह है :

"कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दीकरण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायेगा और न अपनी रुचि के विधि-व्यवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा।"

यह अनुच्छेद 22 का पहला खंड है और दूसरा खंड यह है :

"प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया गया है और हवालात में निरुद्ध किया गया है, बन्दीकरण के स्थान से दंडाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक समय को छोड़ कर ऐसे बन्दीकरण से 24 घंटे की कालावधि में निकटतम दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जायेगा, तथा ऐसा कोई व्यक्ति उक्त कालावधि से आगे दंडाधिकारी के प्राधिकार के बिना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायेगा।"

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री डा० राम सुभग सिंह) : कहां यह मंशा नहीं है ?

श्री राजनारायण : रामसुभग जी, कहीं यह मंशा नहीं है। यह वैधानिक प्रश्न है, भावावेश में आने की आवश्यकता नहीं है। पाटिल साहब के लिये हिन्दी समझने में मुश्किल हो तो मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दूं।

श्री एस० के० पाटिल : मैं बराबर समझता हूं।

श्री राजनाराय : तो इसके दो अर्थ हैं कि जो इंडियन पीनल कोड है और सी० आर० पी० सी० है उसके अन्दर कोई पुलिस का अफसर अगर हमको गिरफ्तार करता है तो तत्काल उसको हमको कारण बताना होगा। एक बात। और हम जिस वकील से मदद लेना चाहते हैं उस वकील से मदद लेने के अधिकार से हमें वंचित नहीं रखा जा सकता। उससे हम मदद

[श्री राजनारायण]

लेंगे ही, जो हमारी रुचि का वकील है। जिस वकील को हम योग्य समझते हैं उस वकील से हमारे सलाह लेने में कोई भी ताकत रुकावट नहीं डाल सकती और ले आने और ले जाने के समय को काट कर के गिरफ्तारी के 24 घंटे के अन्दर हमें मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना ही होगा। यह संविधान की बाध्यता है, इस बाध्यता के विरुद्ध कोई भी विधेयक इस सदन में प्रस्तुत नहीं हो सकता।

माननीया, माफ कीजियेगा, एक बात में कहना चाहता हूं; यह मैं कहना नहीं चाहता था मगर कहना पड़ता है, कि हमारे सेक्रेटरी साहब और आपमें जो सम्वाद इस तरह से होता है वह नहीं होना चाहिये। अगर करना है तो वह घूम कर आपके बगल में जायं...

उपसभापति : वह तो कांस्टीट्यूशन हमारे हाथ में देते हैं।

श्री राजनारायण : यह मैं हमेशा के लिये बताता हूं। मंत्री जी भी इस बात को समझेंगे, यह पार्लियामेंटरी कन्वेंशन के, पद्धति के विरुद्ध है।

तो छठवीं धारा पढ़ी जाय। उसके पहले माननीय रेलवे मंत्री जी की विशेष अनुकम्पा से जो विधेयक हमारे सामने विचारार्थ प्रस्तुत है उसके तीसरे क्लाज को पढ़ा जाय। वह यह है :

"Whoever is found, or is proved to have been, in possession of any railway property reasonably suspected of having been stolen or unlawfully obtained shall unless he proves that the railway property came into his possession lawfully, be punishable . . ."

तो यह अधिकार इतना व्यापक है कि जिसको भी "रीज़नेबली" सस्पेक्ट कर लें, जिस पर सुबहा संदेह कर लें उसको माननीय पाटिल साहब गिरफ्तार कर के अपनी शरण में मंगा सकते हैं। अब रीज़नेबली की क्या डेफनीशन है, यह कहीं भी इसमें नहीं रखी हुई है। हमने यहां पर इस विधेयक को मंगा कर पढ़ा, अगर आप समय दें तो मैं इस सम्बन्ध में तर्क प्रस्तुत कर सकता हूं।

उपसभापति : अभी समय नहीं है।

श्री राजनारायण : माननीया, जरा सुन लीजिये। यह जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है यह गिलेटिन कमेटी नहीं होनी चाहिये। मैं जब से आया हूं देख रहा हूं कि The Business Advisory Committee is being turned into a Guillottine Committee. मैं इसको आइन्दा प्रोटेस्ट करूंगा।

3 P.M. आज भी मैं आपके द्वारा किये चाहता हूं कि इतना फन्डामेन्टल राइट, हमारा मौलिक अधिकार, हमसे छीना जाय और हमको कहा जाय कि इतने इम्पार्टेन्ट विधेयक पर इस सदन में डेढ़ घंटे में सारी बातों को समाप्त कर दें यह स्वतः संविधान की मर्यादा और संसदीय पद्धति के विरुद्ध है। इसलिये मैं आपके द्वारा संसद के और सम्मानित सदस्यों से विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि बिज़नेस एड्वाइजरी कमेटी को गिलेटिन कमेटी के रूप में बदलने न दें वरना आपके अधिकार का हनन होगा और जिस ढंग से यह सरकार चल रही है और जिस ढंग से माननीय पाटिल साहब और दूसरे लोग बोल रहे हैं वह स्वतः हिंसा का प्रेरक है। इसलिये यह अधिकार सम्मानित सदन को दें कि ऐसा कानून मंत्री जी न लायें कि सख्ती के साथ हम लोगों के विरुद्ध अमल में लाये और सख्ती के साथ काम में लाकर जिसको जब चाहें संदेह करके गिरफ्तार कर लें। मैं तो शायद रोज ही जेल में रहूं, लेकिन हमारे माननीय दया भाई पटेल भी जायंगे, मिश्रा भी जायंगे, गनी साहब भी जायंगे। हो सकता है ये लोग हफ्ते हफ्ते दो तीन बार जायं और हम तो रोज ही जायं। तो इस विधेयक के पास हो जाने...

SHRI AKBAR ALI KHAN: They must have reasonable suspicion that you have stolen it. You will never figure in this, I am sure.

श्री राजनारायण : क्या कसौटी है ? ज़रा हल्ला मत करिये। देखिये मैं भी लॉ ग्रेजुएट हूं। इसके बाद छठवें क्लाज को देखा जाय :

"Any superior officer or member of the Force may, without an order from a Magistrate and without a warrant, arrest any person who has been concerned in an offence punishable under this Act or against whom a reasonable suspicion exists of his having been so concerned."

मैं समझ नहीं सकता कि इससे ज्यादा कानून की ताकत अपने हाथ में और कोई तानाशाह भी लिये है। चाहे दुनिया के जनतंत्र को देखा जाय या दुनिया की डिक्टेटरशिप को देखा जाय, कहीं का कानून हमको दिखाया जाय, कहीं भी किसी सुपीरियर आफिसर या किसी 'मेम्बर आफ दी फोर्स' के पास इतने ज्यादा अधिकार—कि बिना वारेन्ट के जब चाहे गिरफ्तार कर ले और बिना मजिस्ट्रेट के आर्डर के जब चाहे गिरफ्तार कर ले और जितने समय तक चाहे किसी को रोक सके, इतने अधिकार कहीं नहीं हैं। यह तो "हैवाक क्रिएट" करेगा । पाटिल साहब की मनोवृत्ति का, तानाशाही और हिंसक प्रवृत्ति का इससे बढ़कर, नागरिक अधिकार का हनन करने की प्रवृत्ति का इससे बढ़कर, कोई विधेयक नहीं हो सकता।

अब सातवें क्लाज को पढ़ा जाय :

"Every person arrested for an offence punishable under this Act shall, if the arrest was made by a person other than an officer of the Force, be forwarded without delay to the nearest officer of the Force."

वह आफिसर्स आफ फोर्स के पास ले जाया जायेगा, मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जायेगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास नहीं ले जाया जायेगा। संविधान हमारे नागरिक अधिकार की सुरक्षा करने के लिये लिखित है; यह लिखित विधान है। मगर लिखित संविधान होने के बावजूद भी मैं आपके द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विधेयक को कानून की शकल देकर हम कानून को कहां रख रहे हैं, संविधान को कहां रख रहे हैं ? इसलिये इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिये, भावावेश से नहीं। हो सकता है आज कांग्रेस की सरकार है कल सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बने या दूसरी पार्टी आए मगर जो हमारा नुक्ते नजर है, जो हमारा दृष्टिकोण है, वह यह है जो हम रोज़ चिल्लाते हैं—जनतंत्र होगा, समाजवाद होगा—जनतंत्र शक्ति का विकेन्द्रीकरण—डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ पोलिटिकल एन्ड इकानामिक पावर— है; जनतन्त्र शक्ति का केन्द्रीकरण नहीं है। मैं जानता हूं यह विधेयक उस संविधान की हत्या करता है। यह विधेयक उस शक्ति को डिसेन्ट्रलाइज नहीं करता है, यह शक्ति को सेन्ट्रलाइज करता है क्योंकि इस नाम पर कि रेलवे की प्रापर्टी को लोग नुक्सान कर रहे हैं, एक सूबे से दूसरे सूबे तक सारे राष्ट्र में इसके हाथ पांव फैले हुए हैं, तो उसके नाम पर भावुकता को उभाड़ कर इतने बड़े अधिकार सरकार के हाथ में देना जनतंत्र की हत्या है, नागरिक की हत्या है, मानवता की हत्या है।

श्री शीलभद्र याजी (बिहार) : यह आपका भाषण है या प्वाइंट आफ आर्डर है ?

श्री राजनारायण : देखिये भाई शीलभद्र याजी जी, मैंने पहले ही आपसे. . .

श्री शीलभद्र याजी : आप हाउस का वक्त खराब कर रहे हैं। मैं आपको अपोज कर रहा हूं। ऊलजलूल बातें करते हैं।

श्री राजनारायण : फन्डामेन्टल बात है शीलभद्र याजी जी। देखिये :

"When any person is arrested by an officer of the Force for an offence punishable under this Act or is forwarded to him under section 7, he shall proceed to inquire into the charge against such person."

अगर वह आफिसर गिरफ्तार करता है या मेम्बर आफ दी फोर्स गिरफ्तार करता है. . . कहीं भी इसमें लिखा हुआ है कि चौबीस घंटे

[श्री राज नारायण]

के अंदर यह काम करेगा ? तो मैं समझता हूं जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धाराएं संविधान के पहले बनी थीं उसको अगर यह सरकार न बदले तो बात दूसरी है। लेकिन जो नया अमेन्डमेन्ट सरकार कर रही है उसमें हमारा कहना है कि संविधान की मान्यताओं को, संविधान के अनुच्छेद और संविधान की भावना और इच्छा को शक्ति को विकेन्द्रित करने की ओर ले जाया जाना चाहिये। नागरिक अधिकार की सुरक्षा बड़े पैमाने पर होनी चाहिये। ऐसा नहीं किया जाना चाहिये कि जल्दी में विधेयक लाकर और डेढ़ घंटे के अंदर बिज़नेस एड्वाइजरी कमेटी से समय निकालकर इसको पास कर दिया और सदन के सामने पूरी स्थिति नहीं आए। जब हमारे संविधान में स्पष्टत: लिखा हुआ है अनुअच्छेद 21 और 22 में . . .

श्री अकबर अली खान : यह प्वाइंट आफ आर्डर ही चल रहा है। Is It a point of order?

श्री राजनारायण : You must learn how to behave in Parliament तो मेरा यह निवेदन है . . .

SHRI AKBAR ALI KHAN: I take very strong objection to it. I have got a right to say, and he has no right to reply in that insulting manner.

श्री राजनारायण : हमारे संविधान के विरुद्ध यह विधेयक क्या इस तरह से राज्य सभा के सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है ?

SHRI S. K. PATIL: Madam, I do not think it requires any explanation whatsoever. The hon. Member, no doubt he spoke in Hindi, but he quoted in English.

श्री राजनारायण : हां, इंगलिश में है, क्या करें सरकार का पाप हम लोग भोग रहे हैं।

SHRI S. K. PATIL: The law, unfortunately for him, is now in English. It must be changed at least for him. I share his misfortune, but it is there. Now in this law—he referred to article 22 of the Constitution—it says:

"No person who is arrested shall be detained in custody without being informed, as soon as may be, of the grounds for such arrest nor shall he be denied the right to consult, and to be defended by, a legal practitioner of his choice." * * *

The hon. Member knows very well that no Act enacted by this House can ever replace the Constitution and unless the Constitution is amended, the law incorporated in it is binding. So he need not point it out. But this goes further and we have said there, in sub-clause 8(2) of the Bill that is before us :—

"For this purpose the officer of the Force may exercise the same powers and shall be subject to the same provisions as the officer incharge of a police-station may exercise and is subject to under the Code of Criminal Procedure, 1898,".

So there is absolutely no difference at all, and he forgets it because he is a new Member of this House and he has to learn many things and one of them is that he should not have raised the objection to the original Act which we are replacing by this Bill. They are almost identical and almost word for word the same provisions are there, to which he is taking objection. Now I shall read them, because he has really alerted the House. Therefore I think it is necessary to read the corresponding provisions from the existing Act, and the present Bill is supposed to take its place:

"If any person is found or is proved to have been in possession of any article of railway stores reasonably suspected of being stolen or unlawfully obtained and cannot account satisfactorily how he came by the same, he shall be punishable with imprisonment for a term" * *

etc. etc. It is the same thing in the existing Act also.

Another objectionable thing that he has quoted is also in the same Act. I had no opportunity, otherwise I would have privately advised him that, if he reads that Act, there could be no point of order.

SHRI RAJNARAIN: On a point of order, Madam.

SHRI S. K. PATIL: There can be no point of order when I am replying to the point of order. Clause 6 reads:

"And superior offi.er or member of the Force may, without an order from a Magistrate . . ."

श्री राजनारायण आप हमारा प्वाइंट आफ आर्डर नहीं मान रहे हैं।

SHRI S. K. PATIL: It cannot be. I am on the point of order—replying to it.

THE DEPUTY CHAIRMAN. There cannot be a point of order when the reply is being given to the point of order raised.

SHRI S. K PATIL:

" . . . and without a warrant, arrest—

(a) any person who . . "

SHRI RAJNARAIN On a point of order

THE DEPUTY CHAIRMAN: You cannot raise a point of order when the Minister is replying to a point of order. There cannot be a point of order now.

श्री राजनारायण : मिनिस्टर हो या मेम्बर हो कानून सबके लिये एक है। हमारा प्वाइंट आफ आर्डर पर प्वाइंट आफ आर्डर है। इस आर्डर की बात को सुनना चाहिये और आप कृपा करें तो।

SHRI S. K. PATIL: I am not yielding the floor unless you ask me, Madam, because the hon. Member has no right to ask me

श्री राजनारायण अब आप जरा खुद सोचें, माननीया। क्या सदन की कार्यवाही आप चलायेगी ? मै आपके सम्मान की सुरक्षा के लिये पहली बार सदन से बाहर जाऊंगा, अगर आप मंत्री जी को इस तरह से बोलने देंगी।

THE DEPUTY CHAIRMAN: I have given my ruling. My ruling is that I should hear the Minister first.

SHRI RAJNARAIN: But he is going out of the point.

SHRI S. K. PATIL: The hon. Member has pointed out those things which are identical with those parts in the Railway Protection Force Act. There has been no change. For instance, section 12 says:

"Any superior officer or member of the Force may, without an order from a Magistrate and without a warrant, arrest—

(a) any person who has been concerned in an offence relating to railway property punishable with imprisonment for a term exceeding six months or against whom reasonable suspicion exists of his having been so concerned,"

So what I want my hon. friend to see is that it is all there in the existing Act. Nothing is being added now, and it is all in accordance with the Constitution and the existing law. In fact, we have only put into this Bill what is already guaranteed under the Constitution and the laws of the land.

SHRI RAJNARAIN. The point of order. . . .

THE DEPUTY CHAIRMAN: What is it? Your point of order should be specific and brief. Please put it in two minutes.

श्री राजनारायण : जिस तरह से पाटिल साहब इसके बारे में स्पैसिफिक रहे, वैसे मैं भी रहूंगा। मै आपके द्वारा यह विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, माननीया, आप इस सदन की शोभा है। तो मै आप से यह कहना चाहता हूं।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You should not make any reflection on the Chair, complimentary or otherwise.

श्री राजनारायण : इसमे कोई डिसरैस्पैक्ट नहीं है, कोई आक्षेप नही है। मै आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, मगर संसदीय सम्मान की रक्षा के लिए यह कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से हमारे प्वाइंट आफ आर्डर के बारे में व्यवहार किया गया है, वह उचित नहीं है। चूंकि कोई विशेष स्थिति पैदा न हो, इसलिए आपके आर्डर पर बो डाउन हो गया —झुक गया। मै विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस तरह का व्यवहार भविष्य में नही होना चाहिये। मै यह कहना चाहता हूं कि हमने जो प्वाइंट उठाया है, उसका जवाब श्री पाटिल साहब ने नहीं दिया। हो सकता है कि ये बहुत पुराने हों, लेकिन दिल्ली में रहकर भाड़ झोंकते रहे।

(Interruptions)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, order

श्री राजनारायण . आप हमसे मत उलझिये, जो हम से उलझा है वह चूर-चूर हुआ है। तो मेरा कहना यह है कि हमने यह नही कहा है कि पहले जो था वह अनकान्स्टीट्यूशनल नही था। हमने इस प्वाइंट को पहले लिया था कि जो पहले .

उपसभापति : आपका प्वाइंट आफ आर्डर क्या है ?

श्री राजनारायण हमारा जो प्वाइन्ट है वह यह है कि मौजूदा जो विधेयक है, जो सदन में प्रस्तुत किया गया है वह अन-कास्टीट्यूशनल है। मौजूदा संविधान कहता है कि इस तरह के विधेयक पास नही हो सकते है। माननीय पाटिल साहब ने जो कहा है वह यही कहा है कि ये बातें हमारे पुराने ऐक्ट में थी और उसकी भाषा में थोडा हेरफेर करके यहा पर लाया गया है। मगर मूल भाषा जैसे पहले ऐक्ट में थी वैसे ही इस ऐक्ट में है। लेकिन मै यह कहना चाहता हूं कि यह बिल्कुल अनकास्टीट्यूशनल है। सी० आर० पी० सी० की बहुत सी धाराएं अनकान्स्टीट्यूशनल है और जब सामने आयेंगी तब विचार होगा।

THE DEPUTY CHAIRMAN: You are not raising any point of order. You are just repeating what you have said. What is your point of order?

श्री राजनारायण . यह इस सदन का दुर्भाग्य है, इस जनता का दुर्भाग्य है कि जो मूल प्वाइंट आफ आर्डर है उसको प्वाइंट आफ आर्डर नही समझा जा रहा है। माननीया, यह बात संविधान में स्पष्ट रूप से कही गई है कि इस तरह के विधेयक सदन में प्रस्तुत नही किये जा सकते है। इसलिए मै कहना चाहता हूं कि आप इस बारे में रूलिग दें, व्यवस्था दे कि यह विधेयक यहां पर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिये ?

SHRI B. K. P. SINHA (Bihar): May I say something?

THE DEPUTY CHAIRMAN: On this point of order ?

SHRI B. K. P. SINHA: Yes, Madam, on this point of order.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Not necessary. I think the Railway Minister has explained in great detail how in the original Act these provisions are there and there is absolutely no invalidation of any article of the Constitution Therefore, there is no point of order.

The next speaker is Mr. Parthasarathy.

SHRI R. T. PARTHASARATHY (Madras) : Madam Deputy Chairman, I rise to support the Railway Property (Unlawful Possession) Bill, 1966, that is before the House. Madam, this is a timely measure and one that meets an urgent necessity and I wish to congratulate the Railway Minister for bringing out this piece of legislation, especially at a time when pilferage and theft of railway property have become almost the order of the day. But for this new Bill that is now before the House it would be rather very difficult for the Administration to prevent theft and pilferage which are costing the exchequer crores of rupees. I am saying this because the law's delays are rather very great when we have to apply only the I.P.C. and the Cr.P.C. as we have been doing in the day-to-day administration of justice. I may give an instance from Madras. I will illustrate by a very small example. In Madras, copper wires were stolen from out of the marshalling yard of the Railways and a high officer immediately apprehended the man. As a result of all that the labour union went to the man's rescue and it has given a list of 30 defence witnesses and even today the case has not yet been decided in the court of the magistrate. The summary powers, as are contemplated in this Bill are like those of the Customs Act or the Excise Act and these will give a large measure of aid to the Railway Administration for punishing the offenders and saving valuable materials that run to lakhs, if not crores of rupees

I would very respectfully submit to the House that many instances of pilferage and theft have been in existence and they are due not merely to the intervention of people from outside, that is to say anti-social elements from outside, but I am very

sorry to say that they are to a large measure also due to the doings of some railway employees themselves. These employees connive at various offences like the lifting of railway property and the destroying of railway property. Even in the Perambur workshop in Madras we lose per year in the form of repairs to removed materials something like Rs. 24 lakhs and if this is the state of affairs in one single State and with reference to the Southern Railways only, I am afraid it will amount to two or three crores if we view it from the all-India point of view and with reference to all the Railways. Therefore, I would congratulate the Railway Minister for bringing this piece of legislation.

In this legislation, I would say that clause 3 is particularly very necessary and it is a very vital factor for detecting the offence and for punishing the culprit. It says:

> "Whoever is found, or is proved to have been in possession of any railway property reasonably suspected of having been stolen or unlawfully obtained shall, unless he proves that the railway property came into his possession lawfully, be punishable—"

I would only make one remark about sub-clause (a) and it is this. For the first offence, the term of imprisonment of one year is not sufficient. I want it to be two or even five years and this should be provided for in sub-clause (a). I say this because unless you make the punishment really deterrent, these things will never disappear from our country. They continue to happen being fomented by anti-social elements, particularly from among the railway employees, and the loss will come to a very large amount, running to lakhs if not crores of rupees. On the other hand, the Indian Penal Code and the Criminal Procedure Code have stood the test of time from the time of Lord Macaulay and so the Bill which has been sponsored by the Railway Minister will certainly go a long way to improve the situation. The provisions of this Bill are in no way contrary to the various sections of the I.P.C. and the Cr.P.C. I would say, on the other hand, that they are most complementary and I feel that if this House passes this Bill, it will eliminate the inordinate delays that occur now. Actually if a case goes on for more than one year then ultimately it leads to the destruction of all evidence in that particular case and nobody would be able to say what exactly happened on a particular day with reference to a particular case. To a great extent, this Bill is very necessary and very vital not only in the interests of the Railway Administration but also in the interests of the entire country at large and I am very happy to support this Bill and I congratulate the hon. Minister of Railways for bringing forward this very wise measure, which is timely also.

Thank you.

SHRI LOKANATH MISRA (Orissa): Madam Deputy Chairman, generally I would give my support to the Bill but I have certain objections to it. The first objection, Madam, is that the onus of proof that somebody is not guilty is put on the offender. That duty should have been taken up by the investigating officer or the prosecuting officer. Since the onus has been put on the offender, maybe, as was pointed out in the House on various occasions, there would be occasion for people who are not guilty to be prosecuted, to be harassed and ultimately to be let off in a court of law. Therefore on principle, Madam, I object to it.

Secondly, in case of perishable commodities there would be absolutely no evidence. Very responsible personalities who are highly placed in Government have indicated in the course of conversations to me that ripe mangoes do not reach the destination and it would be very difficult, in spite of all these enactments, for the hon. Railway Minister to locate a particular stolen article and punish the miscreants. So for these perishable commodities he will have to bring a more comprehensive Bill; later on maybe, but all the same it is necessary. This particular enactment will not solve the problem altogether.

There are many thefts committed in the Railways with the connivance of the railwaymen themselves. I have seen myself, Madam, on many occasions tank wagons leaking for hours even though they are stationed on the platform. The railwaymen definitely look at these wagons, maybe helplessly at times because they cannot do anything, and maybe at other times

[Shri Lokanath Misra]

because of indifference, sheer indifference, and nothing is done Probably the Railways are paying compensation for that leakage also I am glad that this particular Bill includes that also but would the hon Minister be in a position to give deterrent punishment to people who overlook these things, who indifferently look at these things? If he cannot do that, this piece of legislation will not solve the problem or will not serve the purpose

The third point, Madam, is that there has been an indication in the Statement of Objects and Reasons that the G R P. is handicapped to a certain extent because they are confined to the particular States They come under the States' service If their belonging to a particular State is any handicap for detecting these stealings and thefts, would that also not be a handicap in the case of murders or other offences committed on the Railways?

SHRI AKBAR ALI KHAN Not to the same extent

SHRI LOKANATH MISRA To a much greater degree, because the murderer is a cleverer man than a thief, not when he is caught but always when he escapes Madam, therefore I would suggest to the hon Railway Minister that he should seriously consider whether he should not also take up the G R P under the Railways because that would solve his problem both ways There are many cases which are handed over to the G R P and they come under this handicap.

With these suggestions, I thank you for having given me this opportunity to say a few words on this Bill

DR (MRS) MANGLADEVI TALWAR (Rajasthan)· Madam Deputy Chairman, I rise to support the Bill because I feel that it is a very good piece of enactment that has been proposed by the hon Railway Minister The Railways, Madam, are national property and all that comes under railway property naturally belongs to the people of the country and it is our prime duty to protect that property from internal and from outside dangers, from people who steal it or destroy it or damage it Madam, the two types of people who are connected with the protection of this property make it difficult for any effective

[Shri Lokanth Misra]

control to be exercised They are the State Government Railway Police and the Railway Protection Force and because of the existence of two forces, it has been found to be ineffective I would like to give an example how dual authority becomes ineffective Only this morning it was mentioned on the floor of this House. Currency is a Central subject and it is an important subject but to detect and punish those who forge notes and print them is States' responsibility with the result that the Central Government finds itself ineffective to deal with such a serious crime as interfering with the currency of the country Therefore, Modam, I feel that this is a very good measure which should be supported by all hon Members of this House

I would like to draw your attention to the statement that the loss of the Government has increased from Rs 29 millions in 1953-54 to Rs 42 millions in 1963-64 The enormity of the problem is self-evident There is also another thing, the increasingly dangerous attitude of the public They go for the destruction of the railway property for one reason or another They feel that by destroying the railway property they can gain something very important. To deter that tendency, I think, this Bill would be very helpful

I would also draw your attention, Madam, to paragraph 3 of the Statement of Objects and Reasons, which says

> "Further, the offences under this Act are investigated and enquired into by the local police in accordance with the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 It has been observed that the two Agencies, *i e*, the Government Railway Police and the Railway Protection Force, which are at present provided to deal with crimes on Railways find themselves handicapped, for different reasons, in effectively dealing with the problem of theft and pilferage of Railway property"

That sums up the necessity and the need for this Bill

As the time is short, I would not like to take up much time of the House With these words, I support the Bill.

श्री शिवानन्द रमौल (हिमाचल प्रदेश) : उपसभापति जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। काफी अरसे से इस किस्म के कानून की आवश्यकता थी रेल के महकमे में जो लोगों का सामान यातायात में, चोरी होता था और जिसका रेलवे डिपार्टमेंट अब तक पूरा इन्तजाम नही कर पाता था उसकी रोकथाम के लिए, ऐसे मुल्जिमान को पकड़ने के लिए और सजा देने के लिए रेलवे की जो प्रोटेक्शन फोर्स होगी उसके लिए इस बिल में अधिकार की व्यवस्था है। इसके लिए मैं रेलवे विभाग और मंत्री जी को बधाई देता हूं कि यह कानून रेलों में चोरी की रोकथाम के लिये लाया गया।

इस पर आपत्ति उठाई गई कि सज़ाएं बहुत सख्त दी गईं और इस बिल में सज़ाओ की अवधि भी कानून में नियत कर दी गई हैं। मैं समझता हूं कि इसी आधार पर ही हमने शुरू से इस मुल्क में कानून चलाने की नीयत से जनता और ऐसे लोगों के साथ बड़ी नरमी का बर्ताव करने की कोशिश की और आज 18–19 साल के बाद हम उसका परिणाम क्या देख रहे है? जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से कानूनों में नरमी बरती गई, जेलों में सुविधाएं दी गई, उसके परिणामस्वरूप एक खास सेक्शन जो पब्लिक का है, और जिसकी क्रिमिनल टेंडेंसीज़ है, वे टेंडेंसीज़ बजाय घटने के दिन-ब-दिन बढ़ती चली जा रही हैं। इस वक्त इस मुल्क में इन टेंडेंसी की जो बढ़ने वाली दशा है उसको रोकने के लिए अगर हम अपना दृष्टिकोण थोड़ा नही बदलेंगे तो हमारे लिए, गवर्नमेंट के लिए, इन मुजरिमाना टेंडेंसीज़ को रोकना बड़ा ही मुश्किल हो जायेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए इस किस्म की सजाएं पहले से ही नियत कर देना बहुत जरूरी चीज है क्योंकि जूडीशियरी, कानून मानने वालों का दृष्टिकोण और एड-मिनिस्ट्रेटिव तबके का दृष्टिकोण कुछ और होता है। तो मुल्क का इन्तजाम करने के लिए बहुत आवश्यक है कि कानूनों में जरा सख्ती बरती जाय। मैं समझता हूं कि कानून का असली मतलब यह है कि मुल्क में जो समस्याएं हैं या जो खराबियां उत्पन्न हो गई हैं उनको रोका जाय। अगर हम मुलायम और शरी-फाना कानूनों को नहीं बदल पाते तो हुकूमत का यह फर्ज हो जाता है कि ऐसे साधन पैदा करे जिससे हमारी जरूरियात पूरी हो सकें और सही तरीके से जैसे हमारा समाज चलना चाहिए उस ढंग से हमारा समाज चले। इस दृष्टिकोण से मैं यह समझता हूं कि इसमें जो सजाएं निर्धारित की गई है वे बिलकुल मुनासिब हैं और पहले टर्म में ही, जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा है, अगर मिनिमम पनिशमेंट निर्धारित कर दिया जाय तो बहुत मुनासिब होगा।

इसमें केन्द्रीकरण और विकेन्द्रीकरण का भी जिक्र किया गया है। पहला जो डिसेन्ट्रे-लाइजेशन में खास अफसरो के हीं हाथ में निपटारा छोड़ दिया गया था, उससे डिसेन्ट्रे-लाइजेशन हुआ और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का आफीसर अगर समरी ट्रायल के आधार पर ऐसे जुर्म का फैसला शीघ्र कर लेगा तो इसमें समय भी बचेगा और जो इस किस्म के जुर्म करने वाले लोग हैं उनको बड़ी जल्दी से सजा भी मिल जायेगी।

इन भावनाओं के साथ, मैं इस बिल का हार्दिक समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि रेलवे विभाग इस बारे में दूसरे लोगों की तरफ भी ध्यान देगा जो रेलवे के नौकर होते हुए भी, माल की चोरी करते हैं। जो जिम्मे-दारी रेलवे में चोरी होने की है वह रेलवे कर्मचारियों की ही ज्यादा है, क्योंकि उनके सहयोग के बगैर दूसरे बाहर के लोग बहुत कम ऐसी चोरियों में सफल हो सकते हैं। इस तरह से मैं यह आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी रेलवे कर्मचारियों के ऊपर इस बात का कड़ा अनुशासन रखेंगे कि जिस शख्स को भी ऐसे काम में हिस्सा लेते हुए पाया जाय उसको ज्यादा से ज्यादा कड़ी सजा मिले। तभी इस तरह की चीजों में बहुत कुछ कमी आ सकती है। अगर बिल्कुल नही उड़ेंगे तो भी

[श्री शिवानन्द रमौल]
कमी जरूर आएगी और जो रेलवे प्रापर्टी है उसकी हानि होने से बचेगी। इन शब्दों के साथ, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री महाबीर दास (बिहार) : मैडम डिपुटी चेयरमैन, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और मैं माननीय मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं कि आज इस मौके पर बिल लाया गया है जबकि वास्तव में रेलवे का बहुत ज्यादा नुक्सान हो रहा है।

साथ साथ, माननीय मंत्री महोदय का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस महकमे में इस कार्य के लिए अफसरों की और कर्मचारियों की नियुक्ति में अच्छी तरह से ध्यान दिया जाय ताकि काम करने वाले व्यक्ति इस कानून को अमल में लाने में काफी सतर्कता अवश्य बरतें।

हमारे माननीय सदस्यो ने ध्यान आर्कषित किया है कि रेलवे की बहुत सी प्रापर्टी की रेलवे कर्मचारियो के कन्नाइवेंस से चोरी हुआ करती है। बहुत-सा माल भी इधर-उधर होता है। ये बातें है और इसलिए यह जरूरी है कि इस प्रकार का विधेयक लाया जाय। इस विधेयक से वास्तव में इन चीजों की रोकथाम हो सकेगी, ऐसा मैं महसूस करता हूं।

माननीय मंत्री महोदय का ध्यान में क्लाज़ 4 की ओर ले जाना चाहता हूं। क्लाज़ 4 में है :

4. "Any owner or occupier of land or building, or any agent of such owner or occupier inchrage of the management of that land or building, who wilfully connives at an offence against the provisions of this Act, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both."

फाइन का है ही नहीं कि कितना फाइन। अथवा एक सौ रुपया मिनिमम है, एक हजार रुपया मैक्सिमम है, दो लाख रुपया मैक्सिमम है, क्या है। There is no provision in clause 4. क्लाज़ 3 में है कि 1,000 रुपया मिनिमम पनिशमेंट है लेकिन penalty for unlawful possession of railway property के बारे में है, यहां punishment for connivance के बारे में नहीं है कि punishment for connivance में वास्तव में फाइन कितना होगा; एक हजार होगा, एक लाख होगा, एक पैसा होगा, कुछ पता नही है। यह मैजिस्ट्रेट की मर्जी पर छोड़ दिया गया है कि चाहे वह जितना फाइन कर दे, चाहे वह चार लाख कर दे, दो पैसा कर दे, या एक पैसा कर दे। इसलिये मैं यह सलाह दूगा कि इसमें फाइन के बारे में क्लीयर जिक्र होना चाहिये। जैसे कि यह लिखा हुआ है which may extend to five years' imprisonment वैसे ही फाइन की रकम भी क्लीयर होनी चाहिये कि कितनी हो सकती है। अगर इसमें संशोधन की आवश्यकता हो, यह इससे साफ नही होता हो और माननीय मंत्री जी ठीक समझें तो मैं चाहूंगा कि इसमें इसी समय इसी स्टेज पर संशोधन हो जाय। यह अच्छा रहेगा।

दूसरी बात यह है कि यहां जो अधिकार है वह वास्तव में ठीक है लेकिन इसको भी सोचें कि कानून बन जाने से ही काम नही चलता है। बहुत-से गरीब लोगों को, बहुत-से अनजान आदमियों को इसका पता ही नहीं होता है कि यह कानून है। इसी तरह यह जब कानून बन जायेगा तो इसकी उनको जानकारी नहीं होगी। इसलिये मैं दूसरा सुझाव यह दूगा कि हिन्दुस्तान भर में जहां जहां स्टेशन है, उसके नजदीक जो भी सिटी, कस्बा, टाउन या विलेज है उसमें इस कानून की वाइड पब्लिसिटी होनी चाहिये। इस कानून का वहां पूरी तरह से प्रचार होना चाहिये ताकि एक-एक व्यक्ति को मालूम हो जाय कि यह जुर्म होने से वास्तव में इस कानून के जरिये से यह सजा होती है और हमें इससे दरगुज़र नही होना चाहिये। पब्लिसिटी करने से आप देखेंगे कि जनता में यह बात फैल जायेगी और आज जो चोरिया होती है उसमें स्वभावतः कमी हो जायेगी और जो धड़ल्ले से रेलवे के माल को लूटने के लिये या चुराने के लिये चले जाते हैं उसमें कमी होगी; वह डरेंगे। इसलिये मेरा सुझाव है

कि पब्लिसिटी पूरी तरह से हो, सिनेमा स्लाइड्स के द्वारा हो। जिस तरह से भी हो सके इसकी पूरी पब्लिसिटी होनी चाहिये।

अब, मैंने सुना कि यह जो विधेयक लाया गया है वह वास्तव में शायद संविधान के अनुकूल नहीं है; तो मैं इसमें सहमत नहीं हो सकता हूं क्योंकि जो हमारा विधान है, जो हमारा कांस्टीट्यूशन है वह सर्वोपरि है। उसका अमेंडमेंट भी नहीं हो सकता है जब तक कि टू-थर्ड मेम्बर प्रजेंट हो कर वोट दे कर ऐसा न करें। तो वह तो सर्वोपरि है, वह सब लाज़ का मालिक है और उसको हमारा यह बिल या यह एक्ट सुपरसीड नहीं कर सकता है। जितने राइट संविधान में हमको हैं उनको अच्छी तरह से पालन करने का एक एक नागरिक को हक है और उसमें कोर्ट मदद करेगा, तो इस बिल की वजह से अपने नागरिकता के हकों के सम्बन्ध में हमें कुछ घबड़ाना नहीं है। यह बिल तो वास्तव में इसलिये है कि हम जनता को बता सकें कि यह नेशनल प्रापर्टी है और इसकी रक्षा में वह हमें सहयोग दे।

एक बात और कहना चाहता हूं। स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एंड रीजंस में बताया गया है कि इतने रुपये की, 42 मिलियंस की, क्लेम दी। मैं कहूंगा कि 42 मिलियंस तो रेलवे की प्रापर्टी गई मगर आप जनता के नुक्सान का असेसमेंट करें तो वह न मालूम कितना है, क्योंकि इसकी वजह से बिजनेस ठप्प हो गया, कारोबार ठप्प हो गया, तो न मालूम कितने करोड़ों रुपयों का देश को नुक्सान हो रहा है। माननीय मंत्री महोदय ने तो जो रेलवे को नुक्सान हुआ है वह बता दिया है लेकिन मैं कहता हूं कि देश का बहुत नुक्सान होता है, प्रोडक्शन का नुकसान होता है, व्यापार का नुक्सान होता है, रोटी रोजी का नुक्सान होता है और कितनों का कार्य ठप्प हो जाता है। इन सभी चीजों को देखेंगे तो यह विधेयक बहुत ज़रूरी है और इस विधेयक को हर तरफ से समर्थन मिलना चाहिये और इसे पास होना चाहिये। धन्यवाद।

L75RS/66—5

श्री शीलभद्र याजी : माननीय डिप्टी चेयरमैन महोदया, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। यह विधेयक तो बहुत पहले लाना चाहिये था और यह बहुत देरी से हमारे हाउस में आया है। अभी हमारे साथी राजनारायण जी ने संविधान की बात की और उस बारे में आपकी रूलिंग हुई। संविधान में सारी व्यवस्था है लेकिन जब देश की, राष्ट्र की, जो सम्पत्ति है उसकी क्षति हो, उसकी नुकसानी हो और उसके लिये कोई विधेयक आये तो मैं समझता हूं कि जो भाई समाजवादी हैं और दिल से समाजवादी हैं उनको तो बाल की खाल खीचने की कोशिश नहीं करनी चाहिये, बल्कि इस सम्बन्ध में सरकार का समर्थन करना चाहिये। यदि उनके दिमाग में उसी तरह की व्यवस्था है जो कि हम करना चाहते हैं तो उनसे हमारी अपील है कि इस तरह के जो विधेयक आयें तो उनको रोड़ा नहीं अटकाना चाहिये बल्कि उनको इसमें मदद करनी चाहिये। अब, इस विधेयक में जो व्यवस्था है उसको देखें। कितनी चोरियां होती है और हमारे रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लोग खड़े रहते हैं, उनके सामने गाड़ियां भी गिरा दी जाती हैं, लूट ली जाती हैं, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकते क्योंकि उनको अधिकार नहीं है। बहुत-सा सैबोटेज रेलवे में होता है और वह इसलिये होता है कि मालगाड़ी गिराओ, पैसेंजर गाड़ी गिराओ और जब क्यास हो तो लूटपाट करो। उस वक्त जी० आर० पी० के आदमी नहीं रहते हैं। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के कुछ आदमी तो रहते हैं लेकिन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के आफिसर भी नहीं रहते हैं। तो जो रहते हैं उनको पकड़ने का अधिकार नहीं, और इसीलिये इस विधेयक में यह व्यवस्था की गई है कि कम से कम असिस्टेंट सबइंस्पेक्टर रहे और उसको यह अधिकार देना चाहते हैं कि वह भी अरेस्ट कर सकता है।

डिप्टी चेयरमैन महोदया, यह जो नागाओं का उपद्रव हुआ तो कई बार गाड़ियां गिराई गई, उनको लूटने की भी चेष्टा हुई लेकिन चूंकि प्रोटेक्शन फोर्स को सिर्फ प्रोटेक्ट करने का

[श्री शीलभद्र याजी]

अधिकार है, अरेस्ट करने का अधिकार नही है इसलिये इन मामलो में कुछ नही हो सका। हमारे साथ एक बार ऐसा मौका हुआ है, मै दीमापुर स्टेशन पर था। उनको बताया गया कि दो होस्टाइल नागा आये हैं, दो बक्से रख दिये हैं और अभी भागे है, हो सकता है कि आगे जाकर एक्सप्लोजन हो और समूची गाड़ी गिर जा सकती है, लेकिन चूकि उनको अधिकारी नही था इसलिये वे अरेस्ट नही हुये वे चले गये। मै भी उस गाड़ी से जाने वाला था लेकिन नहीं गया।

एक माननीय सदस्य : डर गये।

श्री शीलभद्र याजी : मै बेवकूफ नही हूं कि अपनी जान दे दू। लोग यह समझते है कि कभी आजादी की लड़ाई होती थी तो डरते नही थे, लेकिन यहां यह जान रहे हैं कि गाड़ी गिरने वाली है तो ऐसा बेवकूफ नही हूं कि उस गाड़ी में चला जाता। तो हम लोग कहते रहे कि उनको पकड़ो लेकिन कुछ नही कर सके क्योकि अधिकार नहीं है। तो जब सैबोटेज का काम होता है, होस्टाइल नागाज़ करे, हास्टाइल मिजोज करे, या जो प्रो-पाकिस्तानी या प्रो-चायनीज़ एलिमेंट हमारे हिन्दुस्तान मे है वह करें, जिनका कि यह एक पेशा रहेगा कि इस तरह से गाड़ी गिराओ, लूटो और देश का नुक्सान करो, ऐसी हालत में यह बहुत मौजू बिल है, उपयुक्त बिल है। जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स थी, जो कि रेलवे की हिफाजत करने वाली थी और अरेस्ट नही कर सकती थी उनको यह अधिकार दे रहे है, जैसे कि सेंट्रल एक्साइज़ वगैरह में असिस्टेंट इंस्पैक्टर को भी अधिकार है कि वह गिरफ्तार कर सकता है। रेलवे में यह व्यवस्था नही थी और मै समझता हूं कि इसकी व्यवस्था होना वाजिबी है।

यह बिल बहुत पहले आना चाहिये था। हर एक सदस्य को यह सोचना चाहिये कि राष्ट्र की सम्पत्ति की हिफाजत होनी चाहिये, चोरी नही होनी चाहिये और इसका समर्थन करना चाहिये। हमारे विरोधी दल के कुछ लोगो ने यह सवाल उठाया कि पहली बार कसूर हो तो कम सजा देनी चाहिये। मै इस बात मे विश्वास नही करता। क्या जब तक कोई तीन बार हत्या न करे तब तक उसको सजा नही देनी चाहिये। यो कहावत है कि खुदा भी तीन दोषो को माफ कर देता है लेकिन क्या जो तीन बार हत्या करते हैं उनको माफ कर दिया जाता है? इसमे मै विश्वास नही करता, एक बार चोरी हो तो भी उसमें उसी तरह से सजा होनी चाहिये; चोरी-चोरी है, राष्ट्र की सम्पत्ति का नुक्सान नुक्सान है, चाहे पहली बार हो या दूसरी बार हो। तो मेरा कहना है कि सब के लिये सजा की व्यवस्था होनी चाहिये।

इस पर मुझे विशेष कुछ कहना नहीं है। आज जो देश मे समाज विद्रोही तत्व हैं, जो दुश्मन के एजेंट है चाहे वह पाकिस्तानी एजेंट हो, चायनीज़ एजेंट हो, चाहे वह होस्टाइल नागाज हो, होस्टाइल मिजोज़ हो, उनका यह एक तरह का षड्यंत्र है कि गाड़ी गिराओ, लूटो और अगर इसमें लोगो की हत्या भी करनी पड़े तो वह भी करो। तो उनके लिये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को जो अधिकार दिया गया है कि जो असिस्टेंट सबइंस्पेक्टर वहां रहेंगे वह इनको पकड़ भी सकते हैं उसका मै स्वागत करता हूं और इन शब्दो के साथ इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री बी० एन० मंडल (बिहार) : महोदया, रेलवे ऐक्ट के बारे मे जो संशोधन इस हाउस के सामने आया है उसका मै विरोध करता हूं। मै इसलिये नही विरोध करता हूं कि बिल के स्टेटमेन्ट आफ आब्जेक्ट्स एन्ड रीज़न्स में कहा गया है कि पहले कितनी घाटा पूर्ति करनी पड़ती थी रेलवे को, अब उससे अधिक घाटा पूर्ति करनी पड़ती है। इस बात को देखते हुए मै विरोध करता हूं कि ऐसी बात नही है। लेकिन जो अभी की समस्या है उस समस्या के लिये जो उपाय इस संशोधन के जरिये करना चाहिये वह उपाय नही हो पाया है। आज की

समस्या यह नही है कि पब्लिक आकर कौन-सी चीज रेलवे की चुरा लेती है। असली समस्या यह है कि जो रेलवे के नौकर हैं उन लोगों के जरिये ही रेलवे मे चोरी होती है या नुक्सानी होती है। इसलिये वर्तमान नुक्सान की जड़ में रेलवे के जो नौकर है, वे हैं। तो उनके लिये जो व्यवस्था इस संशोधन के जरिये होनी चाहिये वह व्यवस्था नहीं हो पायी है इसलिये भी मैं इसका विरोध करता हूं।

जहा तक इसमे पनिशमेन्ट देने की बात है उसके बारे में भी मेरा विरोध है। जिस तरह से पनिशमेन्ट को कम करने की बजाय बढ़ाया जा रहा है उससे जो समस्या है वह हल नहीं हो पाती है। मेरा सुझाव है कि जो पनिशमेन्ट इसमें दिया गया है उस पनिशमेन्ट को कम कर दिया जाय; एक वर्ष से बेशी उसका पनिशमेन्ट नहीं रखा जाय लेकिन उसका जो अमल हो वह अमल कड़ाई और सचाई के साथ होना चाहिये। अगर उसमें कड़ाई और सचाई न होगी तो जो असल अपराधी है वह जज के सामने या न्यायाधीश के सामने नही लाया जायेगा तो फिर कितना ही बड़ा कानून बनाएं, कितनी हो बड़ी बेशी सजा रखें, कानून से उस समस्या का हल नहीं होगा। इसलिये कानून में सजा की व्यवस्था को कम कर दिया जाय लेकिन इस तरह का एड्मिनिस्ट्रेशन कायम हो जिस एडमिनिस्ट्रेशन के जरिये असल दोषी जज के सामने लाया जाय जिससे उसको सजा मिल सके। इसलिये मै इसका विरोध करता हूं।

तीसरी बात, जो बेशी पावर दे दी गई है प्रोटेक्शन फोर्स को तो मै चाहता हूं उनको इतने पावर्स नही दिये जायं, उनके पावर्स कम किये जायं, क्योंकि उनको बेशी पावर देने से यह नतीजा हो सकता है कि घूसखोरी हो सकती है। इसलिये मंत्री जी विचार करें कि पावर जितनी कम हो सके उतना करें और काम चलाने लायक पावर उनको मिले और बहुत बेशी पावर जो उनको मिला है वह न मिले।

अभी श्री शीलभद्र याजी ने संविधान के बारे मे जिक्र किया। इस बारे मे मुझे ऐसा मालूम पड़ा कि जो भारत का संविधान है शायद उसमे उनका विश्वास नही है कि उसके अन्दर वैसा कानून बन सकता है जिससे सुव्यवस्था कायम हो सकती है। शायद यह विश्वास उनको नही है। इसलिये उनका यह विश्वास था, यद्यपि वे अप्रत्यक्ष रूप से यह बात कह रहे थे, उनके कहने का यही मतलब हो सकता है, कि अगर पब्लिक इन्टरेस्ट मे जरूरी हो तो संविधान की अवज्ञा करके भी कानून बन जाय। मैं समझता हू यह बात सभा मे बोलना एक खतरनाक बात है। जिस मेम्बर के दिमाग से यह बात निकलती है मैं इसको खतरनाक समझता हूं। आज हिन्दुस्तान में सारी गड़बड की जड़ यह है कि आज इस देश में कानून की व्यवस्था नही रह गई है, कानून की व्यवस्था रहने के लिये हमारा जो सबसे बड़ा कानून है, हिन्दुस्तान का संविधान, उसके प्राविजन की रक्षा होनी चाहिये। जितने भी कानून बने, शासन का जो भी काम हो, वह सारे का सारा संविधान के अंदर ही होना चाहिये। इसके खिलाफ मे अगर किसी सदस्य का दिमाग जाता है तो मै समझता हूं खतरनाक बात है और इसको रोकना चाहिये। जो कुछ मंत्री जी ने कहा था, और मंत्री जी की बात हमको पसन्द आई, कि संविधान के मुताबिक सारी बात होनी चाहिये और संविधान के मुताबिक यह कानून भी हो। अभी राजनारायण जी ने कहा कि संविधान के मुताबिक यह कानून नहीं आता है। तो इस पर कोई इज्जत की बात रख कर इसकी जाच करवाई जाय कि संविधान के खिलाफ यह कानून है या संविधान के अंदर यह कानून आता है। तो इसकी जो कानूनी सलाह हो वह मंत्री जी को लेनी चाहिये। अगर राजनारायण जी का कहना सच है कि उसके मुताबिक, इस कानून के जरिये, ऐसी बात है कि चौबीस घंटे के अंदर जो आदमी पकड़ा जाय वह मजिस्ट्रेट के सामने नही लाया जा सकता है या अरेस्ट होने पर उसका जो कानूनी हक है उससे पूछताछ की

[श्री बी० एन० मंडल]

जाय, उसके ऊपर चार्ज शीट लगाई जाय और उसको सफाई का मौका दिया जाय, यह अधिकार अगर इस कानून के जरिये से छीना जाय तो मैं समझता हूं कि वह संविधान के खिलाफ है। तो इस बात की किसी कानूनी एक्सपर्ट से एग्जामिन करवाये तब जाकर इस विधान को पास करें।

SHRI K. P. MALLIKARJUNUDU (Andhra Pradesh): Madam, I support the Bill. I wish to make a suggestion for the consideration of the hon. Minister. No *doubt, the Bill seeks to impose* deterrent punishment for the offenders under the Act and also to invest the Railway Protection Force with powers of investigation similar to those enjoyed by the ordinary police under the Criminal Procedure Code.

In order to achieve the objectives underlying this provision, I wish to make a suggestion that the procedure may also be incorporated in the Bill so that the trial of the cases may be expedited. Of course, cases under clauses 3 and 4 can go to a court of law and become warrant cases. In the trial of a warrant case, certain procedures have been laid down under the Criminal Procedure Code. Now, under the Criminal Procedure Code as amended in 1955, two different procedures are adopted for the trial of warrant cases. One procedure is in respect of cases instituted on police reports and the other procedure is in respect of cases instituted on private complaints. Here even though the Railway Protection Force is invested with powers of investigation, any complaint, any case, filed by it is only tantamount to a complaint and the procedure adumbrated in the Criminal Procedure Code under Section 251A will not apply, with the result that the trial will be delayed. Of *course, in this connection, I may submit to* the House that Section 251 of the Criminal Procedure Code as amended says:—

"In the trial of warrant-cases by Magistrates, the Magistrate shall,—

(a) in any case instituted on a police report, follow the procedure specified in section 251A; and

(b) in any other case, follow the procedure specified in the other provisions of this Chapter."

So, my submission is that a case instituted by an officer of the Railway Protection Force under this Act will come under section 251(b) and not under 251(a) of the Criminal Procedure Code. So, what I would suggest is that a procedure or some provision to that effect may be incorporated into this Bill so that the procedure contemplated under section 251(a) will be applied with the result that the trial of the cases may be expedited.

श्री राजनारायण : माननीया, जितना हमारे लिये इस पर बोलने के लिये पहले से निश्चित था उतना समय प्वाइंट आफ आर्डर में लग गया है, वह कट ही जाना चाहिये, क्योंकि उसमें हम भी कुछ कहें, माननीय मंत्री जी भी कुछ कहे। उन्होंने अपनी जानकारी के मुताबिक कही, हमने अपनी जानकारी के मुताबिक कही।

मुझे बहुत ही दुःख है कि मैं श्री पाटिल को अपने पक्ष में नहीं कर पाया। बहुत दुःख है। मैं चाहता हूं कि मुझमें वह शक्ति आए कि मेरे तर्कों पर एस० के० पाटिल साहब ध्यान दें और उसको मानने की कृपा करें। अक्सर मैं सुना करता हूं अपने पुराने मित्र श्री शीलभद्र याजी जी को, वे समाजवाद का नाम अक्सर लेते रहते हैं।

श्री शीलभद्र याजी : याद दिला कर आपको ठीक करता हूं।

श्री राजनारायण : ठीक ही करते हैं। उनको मैं अपनी बात अभी बाद में बताऊंगा। अभी केवल महर्षि पातंजलि का श्लोक सुना देता हूं :

'समम् अजन्ति जना: अस्मिन् समाज:'

समाज वह जहां जन-जन में समता का व्यवहार हो और जहां ऐसी व्यवस्था रहेगी वहीं समाजवाद होगा। एक तरफ तो कंगालों

4 P.M.

की कंगाली की खाई चौड़ी की जाय और दूसरी ओर करोड़पतियों के कैलाश ऊंचे हों, यह समाजवाद नहीं है। यह तो समाजवाद का निषेध है। अंग्रेजी राज्य का 25 करोड़ रुपये का बिरला कांग्रेस के राज्य में 300 करोड़ रुपय का हो जाय, यह समाजवाद के विपरीत

है। आज का यह विषय नहीं है, इसलिए केवल संक्षेप में कह देता हूं ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति शीलभद्र याजी जी न करें।

व्यक्ति, समाज, पार्टी, सरकार और राष्ट्र, ये जनतंत्र के पांच अवयव हैं, जनतंत्र के पांच अलग स्तम्भ हैं। इसमें व्यक्ति का अलग स्थान है, पार्टी का अपना स्थान है, सरकार का अपना स्थान है, राष्ट्र का अपना स्थान है। कहीं अगर राष्ट्र को शीलभद्र याजी जी सरकार समझ लें, तो वे समाजवाद की हत्या कर देंगे और कर रहे हैं। कहीं अगर सरकार और पार्टी के अन्तर को मिटा दें तो वे समाजवाद की हत्या कर देंगे। व्यक्ति की व्यक्तिगत गरिमा सुरक्षित न हो, वह ठीक स्थान पर प्रतिष्ठित न हो, तो शीलभद्र याजी जी समाजवाद के ऊपर चढ़ बैठेंगे। श्री शीलभद्र याजी समाजवाद पर स्टैन्ड नहीं करते बल्कि उस पर बैठ गये हैं। मैं चाहता हूं कि समाजवाद पर खड़ा होना और समाजवाद पर बैठना, इन दोनों के अन्तर को श्री शीलभद्र याजी समझेंगे।

माननीया, मैं इस विधेयक के संबंध में जो कुछ निवेदन कर रहा हूं उस पर आप गौर करेंगी। माननीय शीलभद्र याजी और सदन के दूसरे सम्मानित सदस्यो ! इस समय जो स्थिति पैदा हो गई है, उस पर केवल गौर करने से ही हमारा काम चलने वाला नहीं है। यदि श्री पाटिल हमारी बातों को सुनने से इन्कार कर देंगे तो यह उचित बात नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि वे हमारी बातों को ध्यान से सुनें।

जो विधेयक की प्रति हमारे हाथ में है, उसके पांचवें पन्ने के 14वें क्लाज़ मे इस वक्त यह लिखा हुआ है :—

"The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force."

इस विधेयक में 14वां क्लाज बडी ताकत देना है। मगर इस विधेयक के विपरीत, इससे भिन्न, इससे असंगत बात यह है कि चाहे कैसा भी कानून क्यों न हो, दूसरा कानून लागू नहीं होगा। इतना बड़ा अधिकार कौन ले सकता है ? जो इन्सान की जगह अपने को खुदा समझता है। पता नहीं खुदा है या नहीं, भगवान है या नहीं।

दूसरी बात जो आपके द्वारा निवेदन करूंगा वह यह है कि इस सरकार का दिमाग साफ नहीं है। मैं समझता हूं कि पाटिल साहब बुद्धि-विभ्रम-जन्य भ्रान्ति में विचरण कर रहे हैं। अगर उनमें इस तरह की भ्रान्ति नहीं होती तो कानून की भाषा ऐसी नहीं होती, जिसकी आवश्यकता पर, जिसकी तात्कालिता पर इतना जोर दिया जा रहा है। कानून कहता कि यह इमिडिएट लागू होगा। जिस समय पास हो, उसी समय से लागू होगा। मगर बिल मे यह बात नहीं है। इसको देखा जाना चाहिये।

"It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint."

विधेयक की भाषा में यह नहीं है "I will Come into force immediately" यह तत्काल ताकत में आयेगा और कार्यान्वित होगा। इस बिल के जरिये यह सरकार इस तरह का अधिकार नहीं ले रही है। अगर सदन इस वक्त इसको पास कर देगा तो सरकार के ऊपर यह रहेगा कि वह जब चाहे इसको लागू करे और जब चाहे न लागू करे।

पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा (उत्तर प्रदेश) : एक दफा लागू होगा तो लागू ही रहेगा।

श्री राजनारायण : जब चाहेंगे तो लागू करेंगे और जब चाहेंगे तो न लागू करेंगे। इस तरह से काम कैसे चलेगा।

पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा : एक दफा जारी हो जायेगा तो जारी रहेगा।

श्री राजनारायण : इसमें तो यह है कि जब सरकार चाहेगी तब लागू करेगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर नहीं चाहेगी तो नहीं लागू करेगी। (*Interruptions*) यही तो मैं कह रहा हूं। तो फिर माननीया, यह देखा जाय। मैं फिर सादर साग्रह निवेदन करूंगा कि हे भाई पाटिल साहब, आपको भगवान सद्बुद्धि दे, आप इस तरह तानाशाही का भयंकर अधिकार इस कानून के जरिये सरकार के हाथ में देने का विधेयक प्रस्तुत करने का पाप अपने सर पर न लें। आदमी आते हैं, आदमी जाते हैं, मगर व्यवस्थाएं रहती हैं। सयोगवश पाटिल साहब आज रेलवे मंत्री हैं, हम सदन के सदस्य हैं और हो सकता है कि कल न रहें क्योंकि एक पद है :

"सबै दिन जात न एक समान।
सबै नर होत न एक समान।"

इस तरह की दो स्थितियां हैं। इसलिए अगर तनिक कहीं अंगुली दबी और उस अंगुली के दबने से बड़े-बड़े उसूल तोड़ दिये जायं, तो इस तरह की बात करना किसी भी सभ्य समाज, सभ्य व्यक्ति, सभ्य सरकार का काम नहीं है। अगर इस तरह की बात हुई तो तब जनतंत्र है ही नहीं। जहां हमने तनिक नुक्सान देखा तो दब गये, अपनी जगह छोड़ दी, तब फिर विवाद क्या, तब वहां डिसकशन क्या ?

मुझे अफसोस है कि हमारे मित्र बार-बार पाकिस्तान का नाम लेते हैं, बार-बार चीन का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इसमें हमें बड़ा खतरा है क्योंकि तोड़-फोड़ की कार्यवाही हो रही हैं। माननीया, पहले मैं इस विधेयक में जाना चाहता हूं और आप से कहना चाहता हूं कि मेरे दिल में जो फफोले हैं उन्हें ठीक जगह पर फोड़ना चाहता हूं। आज जो हड़तालें हो रही हैं, जिनके संबंध में श्री पाटिल साहब अक्सर बयान किया करते हैं कि यह तो हिंसा का प्रचार किया जा रहा है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये हड़तालें क्यों हो रही हैं, ये आन्दोलन क्यों हो रहे हैं ? देश में भुखमरी पैदा करने की जिम्मेदारी किसकी है, महंगाई करने की जिम्मेदारी किसकी है ? डाका, कत्ल और चोरी करने की जिम्मेदारी किसकी है ? माननीया, जिस कांग्रेसी राज्य में चोरी बढ़ी हो, डाकेज़नी बढ़ी हो, कत्ल बढ़े हों, दंगे बढ़े हों, राहज़नी बढ़ी हो, वेश्या बढ़ी हों, भुखमरी बढ़ी हो, रेल के एक्सीडेन्ट बढ़े हों, उसके बारे में आप खुद समझ सकती हैं क्या कहा जा सकता है। अफसोस है कि माननीय पाटिल साहब द्वारा जो बयान उनके अखबारों में पढ़ने को मिले हैं, उनसे मालूम होता है कि दुनिया के दूसरे मुल्कों में यहां के मुकाबले में ज्यादा रेल के एक्सीडेन्ट होते हैं। उन्होंने इस तरह कई मुल्कों का उदाहरण दे दिया।

श्री शीलभद्र याजी : अफसोस है कि जितने भी हड़ताल और उपद्रव हो रहे हैं उसके लिए आप पाप के भागी हैं।

श्री राजनारायण : हमने ईल्ड कर दिया। हम संसदीय प्रणाली पर चलते हैं।

उपसभापति : अब आपका भाषण समाप्त होना चाहिये।

श्री राजनारायण : माननीया, ज़रा जो सरकारी पक्ष के लोग हैं, उनको रोका जाय। वे खड़े हो जायेंगे तो हम बैठ जायेंगे क्योंकि हम दूसरे को सुनना और सुनाना चाहते हैं। आप देखती होंगी कि अगर कोई बोलता रहता है तो मैं बीच में टोकना पसन्द नहीं करता। अगर कोई मुझ से कुछ कहना चाहता है तो मैं अपने अधिकार को दे देता हूं क्योंकि हमें अपने विषय की श्रेष्ठता और गुरुता पर विश्वास है। चाहे जितना बीच में हल्ला मचाया जाय, हमारा विषय इधर से उधर होगा नहीं।

तो, माननीया, मेरा कहना है कि आज एक दार्शनिक अमेरीका का है और उसका नाम पाटिल जी ज़रूर जानते होंगे। उसका नाम थोरो है। थोरो ने कहा है कि जो सरकार अपने नागरिकों को अनजस्टली—अन्याय के साथ—गिरफ्तार करती है, उसके शासन में जो जस्ट पीपुल हैं उनकी जगह जेलखाना

होगी। जरा इस बात को हृदयंगम किया जाय। थोरो ने कहा कि जब सरकार अनजस्टली अरेस्ट करती है तो जस्ट पीपुल की जगह जेलखाना होगी। इस तरह से मैं आज कहना चाहता हू, सदन के सम्मानित सदस्यों को बताना चाहता हूं कि जो आज जनतंत्र की, संसदीय स्वस्थ प्रणाली की रक्षा करना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि इस सदन की महिमा, सदन की शिष्टता, सदन की उच्चता कायम रहे, उनको तैयार रहना पड़ेगा इस सदन से घसीट कर निकाले जाने के लिये। हम देख रहे हैं कि यह सदन राज्य सभा है और इसमे जनता की सच्ची भावना प्रतिबिंबित हो और जब जनता की सच्ची भावना प्रतिबिंबित होने मे और सरकारी पक्ष द्वारा हमारी वाणी को प्रस्फुटित होने मे रुकावट डाली जायेगी तो आवश्यक है हमारे लिये कि हम उसका प्रतिकार करे क्योंकि अन्याय को जो सहता है वह अन्याय करता है, चाहे सदन के अन्दर हो, चाहे सदन के बाहर हो। इसलिये मै ज्यादा समय नही लेना चाहता। आपके द्वारा विनम्रता के साथ निवेदन करना चाहता हू। एस० के० पाटिल जी हमारे बुजुर्ग है, उम्र मे हमसे ज़रूर ज्यादा है, उनकी जानकारी भी हम से ज्यादा होनी चाहिये। हम "जानकारी" शब्द कह रहे है, "बुद्धि" नही। तो इन सब का समुच्चय विचार कर वे आज इस विधेयक को वापस ले और वापस ले कर के इसको देखें, दिखाये। मै समझता हूं कि अगर कोई सही बुद्धिवाला सलाहकार उनको मिलेगा तो वह इसी सम्मति पर आयेगा कि यह असवैधानिक है। हमारे पास इतना पैसा नही है। अगर पाटिल साहब हमारे लिये इसके फंड का प्राविज़न कर दे तो मै इस विधेयक को सुप्रीम कोर्ट मे ले जा कर के, खुद बहस कर के इसको अल्ट्रा वायर्स डिक्लेयर करा सकता हूं। यह विधेयक वहा ठहर नही सकता है। इसलिये सदन का जैसा पैसा नष्ट होगा, जो समय नष्ट होगा, उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार पर जानी चाहिये और सरकार पर क्यों जाय, पाटिल साहब पर स्वतः जानी चाहिये क्योंकि इतनी साधु सम्मति के बाद भी अगर पाटिल साहब इसको वापस न ले, तो इसकी जिम्मेदारी पाटिल साहब लें। सरकार पर ज़िम्मेदारी जायेगी, क्योकि सरकार इस समय जनता के पैसे का अपव्यय कर रही है। इसलिये पुनः आपके द्वारा करबद्ध प्रार्थी हू, सादर सविनय निवेदन कर रहा हूं, हाथ जोड़ कर आरजू मिन्नत कर रहा हूं कि जनतंत्र के नाम पर, संसदीय परम्परा के नाम पर, लोक-कल्याण के नाम पर, नागरिक अधिकारो की सुरक्षा के नाम पर, व्यक्तिगत अधिकारो की रक्षा के नाम पर, हे पाटिल साहब, आप इस विधेयक को वापस ले।

SHRI S. K. PATIL: Madam, I am indeed grateful to the House for the general support that they have given to this Bill. This Bill has come not a day too soon and the reasons that I have given are not new. There have been suggestions to us for a number of years that we should have a legislation of this kind so that many of these things that happen to-day, which do cost us quite a lot of money, can be avoided Although we have mentioned Rs. 27 crores and Rs. 42 crores, I agree with some Members that possibly the loss might be even greater than that. Some suggestions have been made of which I am taking note. One Member from our side, Shri Parthasarathy, and my friend Shri Lokanath Misra, drew my attention to the fact and asked: 'What about the thieves or offenders among the railway workers themselves?' Now I know and I am conscious of the fact that that caution is very necessary indeed and I can assure them that if a railwayman is really found doing this thing, we ourselves will appeal to the court that the sentence should be even more because although it is one year as a minimum, the court can extend it to five years because in my eyes he is a bigger offender, because since he is entrusted with the responsibility of protecting the property, at least he should not be a thief of that property. Therefore that I can understand.

Something has been said about the Perambur Factory that the loss amounts to Rs. 20 lakhs annually. I quite agree with that and therefore on that analogy

[Shri S. K. Patil.]

possibly the loss incurred by us would be much more.

Another thing that was said was that the property includes sometimes perishable articles, and mangoes were referred to. They are very delicious, nice things and possibly there is a greater attraction to remove them even by those who must really do something else to protect them and not to remove them and therefore the allegation was that the ripe mangoes never reached their destinations and they reached some other destination. All these are known and I am not lightly treating it. That is a malady that has got to be removed as quickly as possible and the offenders may not necessarily be outsiders but sometimes they may be of the type that my friend is suggesting.

Then he suggested that the sentence is high and at some places the murder is cleverer than a thief. I do not want to join issue with him but there was some important discussion or a dialogue that was going on in the world to-day as to the difference between a common thief and a common murderer. A murderer cannot be a common man, he is a very uncommon person and most of the psychologists of the world have come to the conclusion which is opposite to that of my friend that the murderer is a fool, is not a clever man. Therefore I am not merely suggesting who is a fool and who is a clever man but one need not necessarily take it that a murderer is really cleverer than a thief. Thieves are cold-blooded persons. They are much cleverer. It is an act that somebody does in a kind of emotional way but it is an act which is very much calculated. I am merely saying it. Therefore, about the sentence, although the minimum is one year, it is capable of extension to five years and the difference is made between the first offence, second offence and the third offence because sometimes it may be casual and so the man must be given an opportunity to reform. That is why we have said so. In every law the difference between the first, second and third offence is there and I do not want to make an exception in this particular law.

Then some Members asked: 'Why the onus of proving is on the person, and why the Government does not take that responsibility ?' I am merely pointing out this that in the existing Act also, which is now being repealed, the onus of proving that the railway property came into his possession lawfully lay on the accused. So we are not departing from that just now and it is as well that it is so. Why ? It is because, after all, when the property is seized, you do not wait for some time in order that the other process of law should be brought into effect in order to prove that it is his property. If he is honest, there is no difficulty in proving that it is his property. Maybe it is railway property but he might have lawfully acquired, he might have bought it, and he has only to prove it and there will be no difficulty about it.

I do not think there is anything more that has been said. My friend, Shri Rajnarain, has made an appeal to me. He really gave a very excellent definition of socialism that I shall try to remember because for many, many years, for half a century or more, many people higher than myself and himself have said something about socialism. It will be a very significant addition to that socialism, what he has said to-day. He has also appealed to me and made that with an invocation to God . . .

(*Interruptions.*)

The world should have been quite different because on every occasion whenever he starts speaking, there is a general invocation to God.

'सर्वेपि सुखिन: सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया: ।'

But the world remains just the same. My friend, Rajnarain, remains just the same, and he will permit me to remain just the same.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

"That the Bill to consolidate and amend the law relating to unlawful possession of railway property be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE DEPUTY CHAIRMAN: We shall now take up the clause by clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 16 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI S. K. PATIL : I beg to move :

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE ELECTRICITY (SUPPLY) AMENDMENT BILL, 1966

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO) : Madam Deputy Chairman, I beg to move :

"That the Bill further to amend the Electricity (Supply) Act, 1948, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

In suggesting this I shall briefly explain the circumstances under which we had to bring in this amending Bill. The supply of electricity and the other aspects connected with it are being regulated by two Electricity Acts, one, the Indian Electricity Act, 1910, and the other, the Electricity (Supply) Act, 1948. I may be permitted to submit that the electricity, though it has engulfed the fabric of civilisation and though it is being employed in the rest of the world in a very mighty way to help mankind, it had not received any attention—any attention worth the name—in India in the days before independence. It is only after the independence, after three Plans, after pursuing a very large number of projects, and expensive ones too, that we are now generating electricity which is six times as much as it was in 1948. That is indeed a very good achievement, but nevertheless I should say that, compared to the world production of electricity, we are very low down in the list. The world produces something like three thousand billion kilowatt hours a year but our production is only about 1.25 per cent. . . .

श्री राजनारायण (उत्तर प्रदेश) : कोरम नहीं है ।

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please, whether there is quorum.

SHRI RAJNARAIN : No quorum.

THE DEPUTY CHAIRMAN : Please continue, Dr. Rao.

DR. K. L. RAO : I was submitting, Madam, that while the world produces quite a large amount of electricity, we in India produce only 1.2 per cent. though from the point of population, we are nearly 16 per cent. and we are entitled to produce and use electricity on a much bigger scale. So the objective of the Government in further years is to advance in electricity more and more. For example, in the Fourth Five Year Plan it is our intention to double the electricity that we have so far built up. But what I want to submit is that even in the fifteen years of planned development that we have had since the last 1948 Act, we have achieved a large amount of expansion of electricity, so that it is now time when we had to bring forward a few amendments to the Act as a result of the practical experience of the electricity supply in the country. There are two urgent reasons why these amendments were taken in hand. The first reason is that the Bank Rate was raised from 5 per cent. to 6 per cent. in February, 1965.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI AKBAR ALI KHAN) in the Chair.]

Now, the private licensees are allowed to charge, what we call, the standard rate of 2 per cent. above the Bank Rate; that is, 5 per cent. plus 2 per cent.=7 per cent. is the rate of interest that is applicable and chargeable up to a point of time in 1965, and later on, for the further period, it will be 6 plus 2=8 per cent. Now if we do not amend the Act, what will happen is that the licensees might charge 8 per cent. for the entire amount of money invested at different times in the whole of their electricity undertakings. This will unnecessarily increase the rates and the licensees supplying electricity may increase the rates for the supply of electricity. So what we have done here is this. We have divided the periods into two sectors. One is that up to April, 1965, they will charge only at the rate of 7 per cent., the rate prevailing at the time. It is only for the future investments, for the investments made thereafter that the increased Bank Rate plus 2 per cent. will apply. This is being done in order to safeguard against and ensure that there shall be no raise in